न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (जिला–ब्यावर) राज.

ोठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

ाजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 11/2022

;CMS NO. : 2022/38

–: वादी :–	**बनाम**	**–: प्रतिवादीगण :–**
1.जवरीलाल पुत्र मोतीलाल जाति– माली, निवासी– गायत्री मंदिर के पास जैतारण, तहसील जैतारण जिला– ब्यावर		1. दुर्गाराम पुत्र घेवरराम 2. प्रभुराम पुत्र घेवरराम 3. लक्ष्मणराम पुत्र घेवरराम 4. प्रेमदेवी पुत्री घेवरराम 5. सुखीदेवी पुत्री घेवरराम 6. पानीदेवी पत्नी घेवरराम 7. शिवराम पुत्र पोकर 8. श्रीलाल पुत्र मदनलाल 9. राजेश पुत्र मदनलाल 10. प्रकाशचन्द पुत्र मदनलाल 11. नरेश पुत्र मदनलाल 12. बद्रीदेवी पुत्री मदनलाल 13. गोलीबाई पत्नी मदनलाल फौत के कायम मुकाम– 13/1 श्रीलाल पुत्र मदनलाल 13/2 राजेश पुत्र मदनलाल 13/3 प्रकाशचन्द पुत्र मदनलाल 13/4 नरेश पुत्र मदनलाल 13/5 बद्रीदेवी पुत्री मदनलाल 14. रामनारायण पुत्र बद्रीलाल 15. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल 16. अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल 17. सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल 18. विद्यादेवी पुत्री बद्रीलाल फौत के कायम मुकाम– 18/1 रामनारायण पुत्र बद्रीलाल 18/2 ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल 18/3 अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल 18/4 सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल 19. कंवरीलाल पुत्र मांगीलाल 20. चेतनप्रकाश पुत्र मांगीलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

21. बंशीलाल पुत्र मामूता
22. जोगाराम पुत्र तेजाराम
23. किशनलाल पुत्र तेजाराम
24. मगीचन्द पुत्र तेजाराम
25. सूरजमल पुत्र तेजाराम
26. गोदावरी पत्नी तेजाराम
27. छोटूराम दत्तक पुत्र बिरदाराम
28. टीकाराम पुत्र रामा
29. रामचन्द्र पुत्र रामा
30. सत्यनारायण पुत्र रामा
31. पुखराज पुत्र भंवरलाल
32. मदनलाल पुत्र धीसा फौत के कायम मुकाम
    32/1 बगदाराम पुत्र मदनलाल
    32/2 छैलाराम पुत्र मदनलाल
    32/3 ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
    32/4 सुगनचन्द पुत्र मदनलाल
33. मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ
34. श्यामलाल पुत्र गुदड़राम
35. सीता पत्नी गुदड़राम
    जातियान–माली, निवासीगण–आगेवा रोड़, फौजी चौराहा, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।
36. पटवारी पटवार हल्का जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।
37. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू: 04/02/2022

उपस्थित:–

1. श्री धर्मेश जाँगिड़, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– **दिनांक:– 10/01/2024**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद घोषणा, बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला- ब्यावर में वादी की कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 588 रकबा 3.0190 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 588/2 रकबा 4.1683 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम आयी हुई है। वादी ने उपरोक्त आराजी मूल खसरा नम्बर 588 रकबा 7.1873 हैक्टेयर सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला- ब्यावर में से गोदाराम पुत्र घेवरराम का सम्पूर्ण 1/84वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 (चार) का 1/84वां हिस्सा में से 4वां हिस्सा यानि उपरोक्त आराजी कृषि भूमि में से 5/336वां हिस्सा 30.11.2017 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा गोदाराम व प्रतिवादिया संख्या 4 (चार) से वादी ने खरीद किया तथा मौके पर गोदाराम व प्रतिवादिया संख्या 4 (चार) ने वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिसके पड़ौस उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग 458, दक्षिण में मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ जी जमीन, पूर्व में छोटूराम जी जमीन, पश्चिम में पोकरराम जी गेहलोत की जमीन है। उक्त खरीद की हुई भूमि के चारों तरफ वादी ने पक्की चार दीवारी कर दी, जिसका नजरी नक्शा वाद-पत्र के साथ पेश है। जिस नजरी नक्शे में वादी की खरीद हुई भूमि को ए,बी,सी,डी मार्क से दर्शाया गया है। जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 खसरा नम्बर 588 सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण की खातेदारी भूमि में से निकलने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 में गई भूमि को तरमीम नहीं किया था तथा जब वादी ने मूल खसरा नम्बर 588 सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण में से जमीन खरीद की उस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 निकल चुका था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 सड़क का पक्का निर्माण होकर मुख्य मार्ग चालू हो चुका था। वादी के द्वारा मूल खसरा नम्बर 588 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील-जैतारण में से 5/336वां हिस्सा खरीद करने के पश्चात् मूल खसरा 588 सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 का म्यूटेशन दर्ज किया गया तथा मूल खसरा नम्बर 588 सरहद मौजा- जैतारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 की मुख्य सड़क के दोनों तरफ तरमीम होकर व टुकडे होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 का खसरा नम्बर 588/1 सरहद मौजा जैतारण, तहसील-जैतारण दर्ज किया गया तथा वादी व प्रतिवादीगण के नाम से मूल खसरा नम्बर 588 सरहद मौजा-जैतारण दो रकबों में होकर 588 व 588/2 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील-जैतारण दर्ज किया गया। वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि मूल खसरा नम्बर 588 सरहद मौजा-जैतारण, तहसील- जैतारण में से बाद में दर्ज हुए दो खसरा नम्बरान 588 व 588/2 में दर्ज हो गई। जबकि वादी ने राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 458 जब निकली थी, उसके बाद में मौके पर गोदाराम व प्रतिवादिया संख्या 4 (चार) से जमीन दिनांक 30.11. 2017 को खरीद थी, जो नजरी नक्शा में [illegible] व एबीसीडी मार्क से दर्शाया गया है, जो वादी की खरीद की गई सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 588/2 सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण में आती है। अब चूंकि वादी उक्त खरीदी हुई भूमि पर ऋण लेना चाहता है, लेकिन वादी की खरीद की हुई भूमि खसरा नम्बर 588

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

588/2 सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण में दर्ज की जा चुकी है, जबकि वादी की खरीद की हुई भूमि मौके पर खसरा नम्बर 588/2 सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण में स्थित है, ना कि खसरा नम्बर 588 सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण में। इसलिए वादी की खरीद की हुई भूमि को खसरा नम्बर 588/2 सरहद मौजा-जैतारण, तहसील-जैतारण में ही दर्ज किया जाना आवश्यक है। मौके पर भी सभी वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी-अपनी भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते है तथा वादी भी अपनी खरीद की हुई भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। इसलिए वादी द्वारा वाद-पत्र बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा, स्थायी निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरुस्ती का श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। वाद-पत्र में वर्णित उक्त आराजी कृषि भूमि में वादी का नाम खसरा नम्बर 588 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील जैतारण में से हटाया जाकर वादी द्वारा खरीद की हुई सम्पूर्ण भूमि का खसरा नम्बर 588/2 सरहद मौजा- जैतारण, तहसील जैतारण में दर्ज किया जाकर वादी का वाद-पत्र में वर्णित आराजी कृषि भूमि का 5/336वां हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर अलग-अलग खाता खोले जाकर मौके पर नेखमबन्दी की जाकर मुंडे रोपे जाये, ताकि वादी अपनी जमीन में खाद बीज डालकर भूमि को उपजाऊ बना सके। इसलिए वादी द्वारा वाद-पत्र बाबत घोषणा, बंटवाड़ा, स्थायी निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरुस्ती का श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। मौके पर सभी वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी-अपनी आराजी कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त कर रहे है। वादी का अपना हिस्सा कानूनन रेकर्डेड हो जाये, इसलिए वादी को दावा करने की नौबत पैदा हुई है। प्रतिवादी संख्या 36 व 37 लैण्ड होल्डर है तथा बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है इसलिए वाद प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का प्रार्थना-पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनाय दावा दिनांक 20.01.2022 को जब वादी ने अपनी खरीदी हुई आराजी कृषि भूमि की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि वादी की खरीदी हुई उक्त आराजी कृषि भूमि दो खसरा नम्बर 588 व 588/2 सरहद मौजा जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला ब्यावर में दर्ज है, जानकारी होने से उत्पन्न हुआ जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार व हक अख्तियार व अन्दर मयाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18/4, 19 से 27, 31 से 35 बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण से 28 से 30 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 28 से 30 जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते है, इसलिये प्रतिवादी का जवाब दावा बन्द किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र आदेश 15 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश कर कथन किया है कि उक्त अनवान में मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहा है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

या है इस पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का उजर ऐतराज एवं आपत्ति नहीं हैं था यदि हस्तगत वाद का माफिक अनुतोष के वाद के डिक्री किये जाने की रस्तदुआ की है। इस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण को कोई उजर ऐतराज एवं आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थनापत्र को ""no objection"" किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर में वादी की कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 588 रकबा 3.0190 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 588/2 रकबा 4.1683 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। न्यायालय के प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 28.02.2023 के द्वारा वादी जवरीलाल पुत्र मोतीलाल को अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का अनुतोष यथा वादी को खसरा नम्बर 588/2 रकबा 4.1683 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम में 5/336वां हिस्से की आराजी का खातेदार अभिधारी घोषित किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें अनुतोष अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लिए माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-जैतारण, पटवार हल्का-जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर में वादी की कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 588 रकबा 3.0190 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 588/2 रकबा 4.1683 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम की आई हुई है। जिसका उभयपक्ष के हक-हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड एवं अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 के द्वारा जारी घोषणा अनुसार भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2023/221 दिनांक 08.06.2023 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/4573 दिनांक 23.08.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील उभयपक्ष को सुना गया। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने वादग्रस्त आराजी का माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। भू-अभिलेख के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

खसरा नंबर 588 रकबा 3.0190 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 588/2 रकबा 4.1683 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर में वादी की कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 588 रकबा 3.0190 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 588/2 रकबा 4.1683 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जवरीलाल पुत्र मोतीलाल कौम माली सा0 देह खातेदार	588/3	0.1070	चा. सो.	0.28
2.	अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल 600/70803 उगमादेवी पुत्री मदनलाल 1497/70803 ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल 1497/70803 ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल 600/70803 कवरीलाल पुत्र मांगीलाल 748/70803 किशनलाल पुत्र तेजाराम 163/70803 गोदावरी पत्नी तेजाराम 163/70803 गोलीबाई पत्नी मदनलाल 500/70803 चेतनप्रकाश पुत्र मांगीलाल 748/70803 छैलाराम पुत्र मदनलाल 1497/70803 छोटुराम दत्तक पुत्र बिड़दाराम 5989/70803	588	3.0190	चा. सो.	7.91
	जोगाराम पुत्र तेजाराम 163/70803 टीकाराम पुत्र रामा 5989/70803 दुर्गाराम पुत्र घेवरराम 855/70803 धर्मीचन्द पुत्र तेजाराम 163/70803 नरेश पुत्र मदनलाल 500/70803 पुखराज पुत्र भंवरलाल 4083/70803 पप्पुडीदेवी पुत्री मदनलाल 1497/70803 प्रकाशचन्द पुत्र मदनलाल 500/70803 प्रभुराम पुत्र घेवरराम 855/70803 प्रेमदेवी पुत्री घेवरराम 642/70803 पानीदेवी पत्नी घेवरराम 855/70803 बगदाराम पुत्र मदनलाल 149[illegible] बगदीदेवी पुत्री मदनलाल 500/70803 बंशीलाल पुत्र भभुत 1497/70803 मोतीलाल पुत्र जगनाथ 898[illegible] राजेश पुत्र मदनलाल 500/70803 रामचन्द्र पुत्र रामा 5989/70803	588/2	4.0613	चा. सो.	10.64

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

	रामनारायण पुत्र बद्रीलाल 600/70803 लक्ष्मणराम पुत्र घेवरराम 855/70803 विध्यादेवी पत्नी बद्रीलाल 600/70803 श्यामलाल पुत्र गुदडराम 3634/70803 श्रीलाल पुत्र मदनलाल 500/70803 शिवराम पुत्र पोकर 5989/70803 सुखीदेवी पुत्री घेवरराम 855/70803 सुगनचन्द पुत्र मदनलाल 1497/70803 सत्यनारायण पुत्र रामा 5989/70803 सुरजमल पुत्र तेजाराम 163/70803 सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल 600/70803 सीता पत्नी गुदडराम 449/70803				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 10/01/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुकाम :- जैतारण जिला ब्यावर
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादी :- **बनाम** **-: प्रतिवादीगण :-**

वादी:

1. जवरीलाल पुत्र मोतीलाल जाति- माली, निवासी- गायत्री मंदिर के पास जैतारण, तहसील जैतारण जिला- ब्यावर

प्रतिवादीगण:

1. दुर्गाराम पुत्र घेवरराम
2. प्रभुराम पुत्र घेवरराम
3. लक्ष्मणराम पुत्र घेवरराम
4. प्रेमदेवी पुत्री घेवरराम
5. सुखीदेवी पुत्री घेवरराम
6. पानीदेवी पत्नी घेवरराम
7. शिवराम पुत्र पोकर
8. श्रीलाल पुत्र मदनलाल
9. राजेश पुत्र मदनलाल
10. प्रकाशचन्द पुत्र मदनलाल
11. नरेश पुत्र मदनलाल
12. बद्रीदेवी पुत्री मदनलाल
13. गोलीबाई पत्नी मदनलाल फौत के कायम मुकाम-
    13/1 श्रीलाल पुत्र मदनलाल
    13/2 राजेश पुत्र मदनलाल
    13/3 प्रकाशचन्द पुत्र मदनलाल
    13/4 नरेश पुत्र मदनलाल
    13/5 बद्रीदेवी पुत्री मदनलाल
14. रामनारायण पुत्र बद्रीलाल
15. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल
16. अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल
17. सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल
18. विद्यादेवी पुत्री बद्रीलाल फौत के कायम मुकाम-
    18/1 रामनारायण पुत्र बद्रीलाल
    18/2 ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल
    18/3 अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल
    [illegible]4 सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल
19. [illegible]लाल पुत्र मांगीलाल
20. [illegible]तनप्रकाश पुत्र मांगीलाल
21. [illegible]शीलाल पुत्र भभूत
22. जोगाराम पुत्र तेजाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

23. किशनलाल पुत्र तेजाराम
24. धर्मीचन्द पुत्र तेजाराम
25. सूरजमल पुत्र तेजाराम
26. गोदावरी पत्नी तेजाराम
27. छोटूराम दत्तक पुत्र बिड्दाराम
28. टीकाराम पुत्र रामा
29. रामचन्द्र पुत्र रामा
30. सत्यनारायण पुत्र रामा
31. पुखराज पुत्र भंवरलाल
32. मदनलाल पुत्र घीसा फौत के कायम मुकाम
    32/1 बगदाराम पुत्र मदनलाल
    32/2 छैलाराम पुत्र मदनलाल
    32/3 ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल
    32/4 सुगनचन्द पुत्र मदनलाल
33. मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ
34. श्यामलाल पुत्र गुदड़राम
35. सीता पत्नी गुदड़राम

जातियान–माली, निवासीगण–आगेवा रोड़, फौजी चौराहा, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।

36. पटवारी पटवार हल्का जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर
37. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0: 11/2022

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–. .... व हाजरी श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्धई एंव श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा, सरहद मौजा–जैतारण, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर में वादी की [illegible] काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 588 रकबा 3.0190 हैक्टेयर [illegible] चाही सीयम, खसरा नम्बर 588/2 रकबा 4.1683 हैक्टेयर किस्म चाही सीयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:48 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	जवरीलाल पुत्र मोतीलाल कौम माली सा० देह खातेदार	588/3	0.1070	चा. सो.	0.28
2.	अशोक कुमार पुत्र बद्रीलाल 600/70803 उगमादेवी पुत्री मदनलाल 1497/70803 ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल 1497/70803 ओमप्रकाश पुत्र बद्रीलाल 600/70803 कवरीलाल पुत्र मांगीलाल 748/70803 किशनलाल पुत्र तेजाराम 163/70803 गोदावरी पत्नी तेजाराम 163/70803 गोलीबाई पत्नी मदनलाल 500/70803 चेतनप्रकाश पुत्र मांगीलाल 748/70803 छैलाराम पुत्र मदनलाल 1497/70803 छोटुराम दत्तक पुत्र बिड़दाराम 5989/70803 जोगाराम पुत्र तेजाराम 163/70803 टीकाराम पुत्र रामा 5989/70803 दुर्गाराम पुत्र घेवरराम 855/70803 धर्मीचन्द पुत्र तेजाराम 163/70803 नरेश पुत्र मदनलाल 500/70803 पुखराज पुत्र भंवरलाल 4083/70803 पप्पुडीदेवी पुत्री मदनलाल 1497/70803 प्रकाशचन्द पुत्र मदनलाल 500/70803 प्रभुराम पुत्र घेवरराम 855/70803 प्रेमदेवी पुत्री घेवरराम 642/70803 पानीदेवी पत्नी घेवरराम 855/70803 बगदाराम पुत्र मदनलाल 1497/70803 बगदीदेवी पुत्री मदनलाल 500/70803 बंशीलाल पुत्र भभुत 1497/70803 मोतीलाल पुत्र जगनाथ 8985/70803 राजेश पुत्र मदनलाल 500/70803 रामचन्द्र पुत्र रामा 5989/70803 रामनारायण पुत्र बद्रीलाल 600/70803 लक्ष्मणराम पुत्र घेवरराम 855/70803 विध्यादेवी पत्नी बद्रीलाल 600/70803 श्यामलाल पुत्र गुदडराम 3634/70803 श्रीलाल पुत्र मदनलाल 500/70803 शिवराम पुत्र पोकर 5989/70803 सुखीदेवी पुत्री घेवरराम 855/70803 सुगनचन्द पुत्र मदनलाल 1497/70803 सत्यनारायण पुत्र रामा 5989/70803 सुरजमल पुत्र तेजाराम 163/70803 सुरेशचन्द पुत्र बद्रीलाल 600/70803 सीता पत्नी गुदडराम 449[illegible]/70803	588 588/2	3.0190 4.0613	चा. सो. चा. सो.	7.91 10.64

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/01/2024 को जारी किया गया।

मोहर

(श्याम सुंदर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर(राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	4.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	12.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	22.00	मिजानः–	2.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested